रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 20, 2009/आश्विन 28, 1931

No. 605] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2009/ASVINA 28, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2009

सा. का. नि. 764(अ).—ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 26 नवम्बर, 2005 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691(अ) तारीख 26 नवम्बर, 2005 भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया था, जिसमें उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित किया गया और यह सूचना दी गई थी कि जनता को उक्त अधिसूचना संबंधी सरकारी राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा;

और जबकि, उक्त राजपत्र 26 नवम्बर, 2005 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी;

और जबकि, उक्त प्रारूप नियम पर जनता से प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अब, अतएव, केन्द्रीय सरकार ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33द द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) यह नियमावली ओषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियमावली, 2009 कही जाएगी ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन के बाद 1 अप्रैल, 2010 की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में नियम 161क के पश्चात् निम्नांकित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"161ख. 1. आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (ए.एस.यू.) दवाइयों के उपयोग करने की अवधि की तारीख आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी ओषधि के पात्र या पैकेज पर साफ-साफ लिखी जाएगी और समापन तिथि के पश्चात्, इन दवाइयों का चलन नहीं होगा ।

2. आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (ए.एस.यू.) दवाइयों की उपयोग अवधि निम्नवत रहेगी :—

(i) आयुर्वैदिक दवाओं के उपयोग की अवधि या समापन की तिथि :—